

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलेक्टर समा
क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर(राज0)

email id- oicreliefswn@gmail.com

दिनांक:-

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर की क्षतिग्रस्त सड़क की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJRef12913959 दिनांक 10.01.2025 के अनुसार बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ती की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 01 कार्य हेतु राशि 13 लाख रुपये (अक्षरे रुपये तैरह लाख मात्र) की अनुमति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट मद 2245-02-106-(08)-[01] के उपमद 21 से किया जावेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम/सड़क का प्रकार/सड़क की लम्बाई	सड़क का वर्गीकरण	कार्य का विवरण	सड़क की कुल लम्बाई	एस.डी.आर. एफ नोम्स के अनुसार राशि/किमी	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्यकारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम
		VR/NH/SH/MDR/OTHERS						
1	बरोनी-शिवाड-सवाईमाधोपुर -भूरी पहाडी एसएच-122 (किमी 70/0 से 78/0 एवं 89/0 से 94/0)	SH	सड़क पर पंच/गढ़ढे	13.00	1.00	13.00	ब्लॉक-स.मा.	सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम

नोट:-1. स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों, सा.नि.वित्तीय एवं लेखा नियमों एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्य को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर -अंदर पूर्ण करना होगा।
- यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
- कार्यों की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृत एवं एस्टीमेट रिपोर्ट की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किये जावे।
- तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही प्रारंभ कराये जावे।
- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है तथा रिपेयर वर्क का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।
- स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है।
- सड़कें/पुलिया जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड के तहत आते हैं उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- आपदा प्रबंधन सहायत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या राजकाज 12913959 दिनांक 10.01.2025 में दिये गये निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
- विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

(शुभम चौधरी)

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

दिनांक:-

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
- अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।
- अधीशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-प्रथम।
- तहसीलदार चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।
- जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

अति० जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

email id:- ciordiefswm@gmail.com

दिनांक:- 21.02.2025

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलेक्टर सम

क्रमांक:- सहा./बाढ/क्षति.परि/2024/494

वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ एवं अतिवृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर की क्षतिग्रस्त सडक की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(08)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/RAJKAJRef12913959 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 238 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा कुल 01 कार्य हेतु राशि 13 लाख रुपये (अक्षरे रुपये तैरह लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-प्रथम द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरांत उक्त कुल 01 कार्य हेतु राशि 13 लाख रुपये (अक्षरे रुपये तैरह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट मद 2245-02-106-(08)-[01] के उपमद 21 से किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम/सडक का प्रकार/सडक की लम्बाई	सडक का वर्गीकरण	कार्य का विवरण	सडक की कुल लम्बाई	एस.डी.आर.एफ. नोर्स के अनुसार राशि/किमी	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्यकारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम
		VR/NH/SH/MDR/OTHERS						
1	बरोनी-शिवाड-सवाईमाधोपुर -भूरी पहाड़ी एसएच-122 (किमी 70/0 से 78/0 एवं 89/0 से 94/0)	SH	सडक पर पंच/गढढे	13.00	1.00	13.00	ब्लॉक-स.मा.	सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम

- कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार ऊपर वर्णित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।
- कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उपखण्ड स्तरीय समिति की निगरानी में कराये जाने वाले कार्यों की विडियोग्राफी एवं जीपीएस फोटोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत राशि का उपयोग कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PW & FAR And RIPP के नियमों के अनुसार मान्य होगी।
- कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की (सडक) मरम्मत कार्य का संबंधित संवेदक को कार्यादेश प्रदान कर कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं संवेदक को जारी किये गये कार्यादेश की प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- यदि संवेदक द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसको किये जाने वाले भुगतान से विलंब शुल्क (LD) की कटौती नियमानुसार की जावे।
- संवेदक के बिलों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के नियमानुसार आवश्यक कटौतियां जैसे जीएसटी, आयकर, रॉयल्टी, एसडी, लेबर सेस आदि किया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बिल उपखण्ड स्तरीय समिति से प्रमाणिकरण एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन कराया जाकर जीपीएस फोटोग्राफी व विडियोग्राफी के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही संवेदक का पेन कार्ड, जीएसटी नंबर, बैंक खाता संख्या विवरण भी उपलब्ध करावें।
- आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2024/राजकाज/ 8981275 दिनांक 16.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार एसडीआरएफ नोर्स को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्यवाही करें।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इस कार्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध मरम्मत एवं संधारण मद में उपलब्ध बजट राशि का उपयोग लिये जाने के पश्चात् ही एसडीआरएफ मद का उपयोग करेंगे।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
- पुनः यह सुनिश्चित कर ले कि उपरोक्त स्वीकृत कार्य उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है, उक्त कार्यों में कोई भी नव निर्माण का कार्य शामिल नहीं है, कोई भी कार्य डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में नहीं है, उक्त कार्यों के कार्यादेश पूर्व में जारी नहीं किये गये हैं एवं उक्त कार्य बाढ/अत्यधिक वर्षा से मानसून वर्ष 2024 में क्षतिग्रस्त हुए कार्य हैं, जिनकी तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
- स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने हैं व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है तथा देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।
- विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दिनांक:- 21.02.2025

क्रमांक:- सहा./बाढ/क्षति.परि/2024/495-507

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
- अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, सवाई माधोपुर।
- अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम।
- उप जिला कलेक्टर खण्डार/मलारना डूंगर/चौथ का बरवाड़ा/सवाई माधोपुर।
- तहसीलदार खण्डार/मलारना डूंगर/चौथ का बरवाड़ा/सवाई माधोपुर।
- जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर(राज0)

सहायता अनुभाग रूप नं. 12 कलेक्टर सभा

email id- oicreliefwmt@gmail.com

क्रमांक- सहा./बाह/क्षति.परि/2024/ 1311

दिनांक-20.05.2025

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,

राजस्थान जयपुर।

विषय:- वर्ष 2024-25 में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के संबंध में आवंटित बजट का उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2024-25 में 31 मार्च तक इस जिले द्वारा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों से संबंधित बिल ट्रेजरी भेजे गये थे, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण ट्रेजरी द्वारा बिल को रिजेक्ट या वापस कर दिये गये थे। उन सभी बिलों के संबंध में सूचना निम्न प्रारूप में सादर प्रेषित है:-

क्र.सं.	वित्तीय स्वीकृति	बजट मद	आवंटित बजट	उपयोग बजट	बजट मांग
1	10507319 / 14.9.2024	2245-02-122-02-01-21	17.46	0	1690215
2	12185632 / 03.12.2024	2245-02-122-02-01-21	25.13	0	2441869
3	10507317 / 14.09.2024	2245-02-106-08-01-21	220.57	8240863	7417525
4	12185644 / 03.12.2024	2245-02-106-08-01-21	131.20	0	13120000
5	12913959 / 10.01.2025	2245-02-106-08-01-21	13.00	0	1033508
6	10507318 / 14.09.2024	2245-02-107-02-01-21	262.00	0	26200000
7	12185649 / 03.12.2024	2245-02-107-02-01-21	56.00	0	5600000
8	12913991 / 10.01.2025	2245-02-107-02-01-21	46.00	0	4600000
योग:-			771.36	8240863	62103117


(संजय शर्मा)

अति० जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर